न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2015 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2013/00013

अनवान

1. श्री शंभूलाल पिता दौलतराम जी ब्राह्मण, निवासी बांरा, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज.)

—प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्री हीरालाल पिता दौलतराम ब्राह्मण, निवासी बांरा, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द
3. श्री लक्ष्मीलाल पिता दौलतराम ब्राह्मण, निवासी बांरा, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द

— विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा आदेश दिनांक 26.10.2012

* निर्णय *

दिनांक— 27-07-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 26.10.2012 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ओडवाड़िया, पटवार मण्ड़ल घणावल, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 403 रकबा 0.2500हे. भूमि स्थित है, जिसकी किस्म बिलानाम बीड़ दर्ज हैं। इस जमीन पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडन्ट संख्या 2 व 3 का कब्जा अपने पिता के समय से लगभग 40—50 वर्षो से चला आ रहा हैं। इस जमीन पर अपीलान्ट ने समतल करा, लागत लगाकर भूमि को आबादान किया हैं तथा अपीलान्ट इस पर काश्त कर रहा हैं। अपीलान्ट के पास पेनाल्टी की पुरानी रसीद मौजुद है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नया कब्जा मानते हुए बेदखली का आदेश दिया जो न्याय व विधि के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट एवं उसके भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 अलग रह रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 गांव मे नहीं थे, उन पर सम्मन की तामिल भी नहीं हुई थी, परन्तु पहली पेशी पर ही तहसीलदार ने छपे छपाये फैसले पर फिल इन द ब्लैंक करते हुए आदेश सुना दिया। पुराना कब्जा होते हुए भी दिनांक 01.01.2000 से पूर्व का कब्जा होने का सबूत पेश नही कर सकना कहकर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का कब्जा सन् 2000 से होना माना है, जबकि कानूनन 2004 तक के कब्जे को नियमन किये जाने का प्रावधान है, परन्तु राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यान मे

रखे बिना कथित जमीन नियमन न कर सीधे बेदखली के आदेश पारित किया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.10.2012 निरस्त फरमाया जाकर कथित भूमि अपीलान्ट के नाम पर नियमन कराने हेतु नियमन कमेटी को भिजवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई जवाब प्राप्त न होने से प्रकरण मे तहसीलदार से आदेश दिनांक 26.10.2012 से संबंधित मूल पत्रावली तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अपने समर्थन मे निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक प.6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008
2. आर.एल.डब्ल्यु 2008(1)आर.जे. पृष्ठ संख्या 670 से 672
3. आर.आर.टी. 2006–07 पृष्ठ संख्या 450–453
4. आर.आर.टी. 2007(2) पृष्ठ संख्या 1130 से 1133

बहस मे भाग लेते हुये राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि पटवारी हल्का घणावल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 12.08.2012 को तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर को विपक्षी संख्या 2 श्री हीरालाल, अपीलान्ट श्री शंभूलाल, विपक्षी संख्या 3 श्री लक्ष्मीलाल पिता दौलतराम द्वारा ग्राम ओडवाड़िया, तहसील गोगुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 403 रकबा 0.2500हे. किस्म बीड़ पर अतिक्रमण हटाने के संबंध मे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के क्रम मे तहसीलदार द्वारा विधिवत सूचना पत्र जारी कर अतिक्रमियों को भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है, जो नियमानुसार हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी की नकल, अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम ओडवाड़िया, तहसील गोगुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 403 रकबा 0.2500हे. किस्म बीड़ पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम किस्म बीड़ दर्ज है, जिसके संबंध मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 26.10.2012 को अतिक्रमियों को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा अत्यधिक पुराना होना बताया हैं एवं राज्य सरकार का आदेश दिनांक 11.01.2008 प्रस्तुत कर कब्जे को नियमन करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.01.2008 का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश मे भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किये

गये अतिक्रमणों के मामलों को नियमित किये जाने के संबंध मे प्रावधान एवं शर्ते दी गई है। अपीलान्ट उस दायरे मे आता हो, ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत करने मे अपीलान्ट के अधिवक्ता असफल रहे हैं। किसी भी राजकीय भूमि पर मात्र कब्जा होने के आधार पर भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का निवास का पता अपने प्रार्थना पत्र मे बांरा, तहसील कुम्भलगढ बताया है। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही नियमानुसार पायी जाती है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2012 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार गोगुन्दा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त भूमि पर दुबारा कोई कब्जे का प्रयत्न न करें एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर